TRANSPORT DEPARTMENT
GOVT. OF UTTAR PRADESH
TEHRI KOTHI, M.G. ROAD, UTTAR PRADESH, LUCKNOW-226001

Operational Guidelines for Disbursement of Purchase Incentives under Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के अंतर्गत खरीद प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु परिचालन दिशा निर्देश

1. Introduction
परिचय

1.1. The Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022 was was approved vide Notification No.41/2022/2596/77-6-2022-1(M)/2022 dated 14.10.2022. The Policy will remain valid for a period of five years.
The Policy will remain valid for a period of five years.
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और मोबिलिटी नीति 2022 के द्वारा निर्णय संख्या 41/2022/2596/77-6-2022-1(M)/2022 14.10.2022 को स्वीकृत की गयी। पॉलिसी पांच साल की अवधि के लिए वैध रहेगी।

1.2. This document provides the operational guidelines for disbursement of purchased incentive offered as early bird incentives under this policy.
इस नीति के तहत यह दस्तावेज़ अर्ली बर्ड प्रोत्साहन के रूप में पेश किए गए खरीद प्रोत्साहन के वितरण के लिए परिचालन दिशानिर्देश प्रदान करता है।

2. Purchase Subsidy
खरीद सब्सिडी

2.1. The Policy envisages that a purchase subsidy as early bird incentives shall be provided to buyers (one time) for a period of 1 year from date of notification.
नीति में बताया गया है कि खरीददारों को अधिसूचना की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए अर्ली बर्ड प्रोत्साहन के रूप में खरीद सब्सिडी (एक बार) प्रदान की जाएगी।

2.2. The Policy includes the following categories of Electric Vehicles (EVs)[1] for the purchase subsidy at following rates:
नीति में निम्नलिखित दरों पर खरीद सब्सिडी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

[1] "Electric Vehicles (EVs)" means all automobiles using an electric motor that is driven by either batteries, ultra-capacitors, or fuel cells. This includes all 2-wheeler, 3-wheeler, and 4-wheeler Strong Electric Vehicles (HEVs), Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV), Battery Electric Vehicles (BEV), and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV).
"इलेक्ट्रिक वाहन (ईवीएस)" का अर्थ है इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करने वाले सभी ऑटोमोबाइल जो बैटरी, अल्ट्रा-कैपेसिटर या ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं। इसमें सभी 2-पहिया, 3-पहिया और 4-पहिया स्ट्रांग इलेक्ट्रिक वाहन (एचईवी), प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (पीएचईवी), बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी) शामिल हैं।

Table 1: Vehicle segments and categories and the applicable incentive under the Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और मोबिलिटी नीति के तहत वाहन खंड और श्रेणियां और लागू प्रोत्साहन

S.no. **क्र.सं.**	**Vehicle Segment** **वाहन खंड**	**Applicable incentive** **लागू प्रोत्साहन**
1	**2-Wheeler EV** **2- पहिया ईवी**	15% of ex-factory cost up to Rs 5000 per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 100 Cr to maximum of 2lac EVs एक्स-फैक्ट्री लागत का 15% प्रति वाहन 5000 रुपये तक है, जो अधिकतम 2 लाख ईवी के लिए 100 करोड़ रुपये का अधिकतम बजट परिव्यय है
2	**4-Wheeler EV** **4- पहिया ईवी**	15% of ex-factory cost up to Rs 1 lakh per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 250 Cr to maximum of 25000 Evs एक्स-फैक्ट्री लागत का 15% प्रति वाहन 100000 रुपये तक है, जो अधिकतम 25000 ईवी के लिए 250 करोड़ रुपये का अधिकतम बजट परिव्यय है
3	**E-buses (non-govt.)** **ई-बसें (गैर-सरकारी)**	15% of ex-factory cost up to Rs 20 lakh per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 80 Cr to maximum of 400 E-Buses एक्स-फैक्ट्री लागत का 15% प्रति वाहन 20 लाख रुपये तक है, जो अधिकतम 400 ई-बसें के लिए 80 करोड़ रुपये का अधिकतम बजट परिव्यय है
4	**E-Goods Carriers** **ई-गुड्स कैरियर**	10% of ex-factory cost up to Rs 1,00,000 per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 10 Cr to maximum of 1000 E-Goods Carriers एक्स-फैक्ट्री लागत का 10% प्रति वाहन 1,00,000 रुपये तक है, जो अधिकतम 1000 ई-गुड्स कैरियर्स के लिए 10 करोड़ का अधिकतम बजट परिव्यय है

2.3. The purchase subsidy shall be available for buyers (end users/consumers) in the form of reimbursement which will be credited to the accounts of registered owners by the Transport Department, GoUP based on claim made by the buyers through an on-line application process.

खरीद सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में खरीदारों (अंतिम उपयोगकर्ताओं / उपभोक्ताओं) के लिए उपलब्ध होगी, जिसे ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से खरीदारों द्वारा किए गए दावे के आधार पर परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत मालिकों के खातों में जमा किया जाएगा।

2.4. The purchase subsidy shall be payable to individual beneficiaries (buyer) such that an individual shall be allowed to avail the subsidy on purchase of any single vehicle across vehicle segments.

खरीद सब्सिडी व्यक्तिगत लाभार्थियों (खरीदार) को देय होगी, जैसे कि एक व्यक्ति को वाहन खंडों में किसी भी एकल वाहन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी।

2.5. The purchase subsidy shall also be payable to aggregator/fleet operators (buyer) such that an entity can avail the subsidy for maximum 10 vehicles across vehicle segments.

खरीद सब्सिडी एग्रीगेटर/फ्लीट ऑपरेटरों (खरीदार) को भी देय होगी ताकि एक इकाई वाहन खंडों में अधिकतम 10 वाहनों के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सके।

2.6. The applicable purchase subsidy for buyers purchasing an electric vehicle without battery shall be fifty percent of the total subsidy amount.

बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले खरीदारों के लिए लागू खरीद सब्सिडी कुल सब्सिडी राशि का पचास प्रतिशत होगी।

3. Guidelines for the Buyer(s) of an Electric Vehicle

इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदार(एस) के लिए दिशानिर्देश

3.1. For the purpose of these guidelines, a buyer may be defined as an individual or a Proprietor, Private/ Public Company or Partnership Firm who are the purchaser of the electric vehicle(s).

इन दिशानिर्देशों का प्रयोजन, एक खरीदार को एक व्यक्ति या एक मालिक, निजी / सार्वजनिक कंपनी या साझेदारी फर्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो इलेक्ट्रिक वाहन (एस) के खरीदार हैं।

3.2. The Buyer shall be required to create a login identity and password online at <*link to the web-application*> with their vehicle registration certificate and registered mobile number, which was provided at the time of registering the vehicle.

खरीदार को अपने वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ ऑनलाइन <upevsubsidy.in> लॉगिन पहचान और पासवर्ड बनाना होगा, जो वाहन पंजीकरण के समय दिया गया था।

3.3. After the login credentials have been successfully generated, the buyer will be required to submit their purchase subsidy claim through an online application.
लॉगिन क्रेडेंशियल सफलतापूर्वक बनने के बाद, खरीदार को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपनी खरीद सब्सिडी दावा जमा करना होगा।

3.4. The buyer shall be required to provide their electric vehicle registration number, Aadhar number and bank account details (account number, bank name and IFSC code) at the time of submitting their purchase subsidy claim.
खरीदार को अपनी खरीद सब्सिडी दावा जमा करते समय अपने इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण संख्या, आधार नंबर और बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक नाम और आईएफएससी कोड) देना होगा।

3.5. The buyer will be required to upload the following documents with their online subsidy claim application:
खरीदार को अपने ऑनलाइन सब्सिडी दावा आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

3.5.1. Copy of passport size photograph submitted during the registration of the vehicle,
वाहन के पंजीकरण के दौरान पासपोर्ट आकार के फोटो की प्रति,

3.5.2. Copy of the signature submitted during the registration of the vehicle,
वाहन के पंजीकरण के दौरान जमा किए गए हस्ताक्षर की प्रति,

3.5.3. Copy of the buyer's Aadhar in individual cases OR copy of the GST certificate (or PAN Card) in case on non-individual purchases,
व्यक्तिगत मामलों में खरीदार के आधार की प्रति या गैर-व्यक्तिगत खरीद के मामले में जीएसटी प्रमाण पत्र (या पैन कार्ड) की प्रति,

3.5.4. Copy of the cancelled cheque with the buyer's name
खरीदार के नाम की रद्द की गयी चेक की प्रति

3.6. After successful submission of the purchase subsidy claim, the buyer will be provided with a unique request number through which the status of the application can be monitored.

खरीद सब्सिडी के दावे को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, खरीदार को एक विशिष्ट अनुरोध संख्या दिया जाएगा जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति की निगरानी की जाएगी।

4. Guidelines for verification of the claim by the Dealer(s)

डीलर (एस) द्वारा दावे के सत्यापन के लिए दिशानिर्देश

4.1. All Dealer will be provided with login credentials to the online subsidy claim application portal by the Transport Department, GoUP.

सभी डीलरों को परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल दिए जाएंगे।

4.2. The Dealer of an electric vehicle will be required to verify the details provided by the buyer in their purchase subsidy claims and ensure the details are the same as provided during registration of the vehicle. The dealer will be required to verify the following:

एक इलेक्ट्रिक वाहन के डीलर को खरीदार द्वारा उनके खरीद सब्सिडी दावों में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने की आवश्यकता होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि विवरण वाहन के पंजीकरण के दौरान दिए गए विवरण के समान हैं। डीलर को निम्नलिखित को सत्यापित करने की आवश्यकता होगी:

4.2.1. Ensure the passport size photograph is the same as submitted during vehicle registration.

सुनिश्चित करें कि पासपोर्ट आकार की प्रति वही है जो वाहन पंजीकरण के दौरान जमा की गई थी।

4.2.2. Ensure the buyer’s signature are the same as submitted during vehicle registration.

सुनिश्चित करें कि खरीदार के हस्ताक्षर वही हैं जो वाहन पंजीकरण के दौरान पेश किए गए हैं।

4.2.3. Ensure the Aadhar number entered by the buyer is the same as the document uploaded.

सुनिश्चित करें कि खरीदार द्वारा दर्ज किया गया आधार नंबर अपलोड किए गए दस्तावेज़ के समान है।

4.2.4. Ensure the bank account details entered by the buyer is the same as the cancelled cheque uploaded.

सुनिश्चित करें कि खरीदार द्वारा दर्ज बैंक खाते का विवरण अपलोड किए गए रद्द चेक के समान है।

4.3. Upon successful verification of the buyer's details and documents, the dealer shall be required to upload the sales invoice of the vehicle which must have the following information:

खरीदार के विवरण और दस्तावेजों के सफल सत्यापन पर, डीलर को वाहन का बिक्री चालान अपलोड करना होगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

4.3.1. Sale invoice No.

बिक्री चालान सं.

4.3.2. Model Name (and Variant Name)

मॉडल का नाम (और संस्करण का नाम)

4.3.3. Chassis Number

चेसिस नंबर

4.3.4. Vehicle Registration Number (RC)

वाहन पंजीकरण संख्या (आरसी)

4.3.5. Dealer Name

डीलर का नाम

4.3.6. Ex-factory cost

पूर्व कारखाने की लागत

4.4. In instances where the purchase subsidy claim is not in accordance with the conditions listed in section 4.1, the dealer shall return the claim application to the buyer along with requisite reason(s) for rectification and resubmission.

ऐसे मामलों में जहाँ खरीद सब्सिडी दावा धारा 4.1 में सूचीबद्ध शर्तों के अनुसार नहीं है, डीलर संशोधन और पुन: प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कारणों के साथ खरीदार को दावा आवेदन वापस कर देगा।

4.5. The dealer shall verify all claims within 3 days from the date of submission by the buyer and will preserve a copy of each verified application along with all documents safely for at least a period of two years from the date of application.

डीलर खरीदार द्वारा प्रस्तुत करने की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी दावों को सत्यापित करेगा और आवेदन की तारीख से कम से कम दो साल की अवधि के लिए सभी दस्तावेजों के साथ प्रत्येक सत्यापित आवेदन की एक प्रति सुरक्षित रूप से संरक्षित करेगा।

5. Guidelines for verification of claim by the Regional Transport Office (RTO)
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा दावे के सत्यापन के लिए दिशानिर्देश

5.1. The Regional Transport Officer will be required to verify the details provided by the buyer and dealer for the purchase subsidy claims and ensure the details are the same as provided during registration of the vehicle.

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को खरीद सब्सिडी दावों के लिए खरीदार और डीलर द्वारा दिए गए विवरणों को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि विवरण वही हैं जो वाहन के पंजीकरण के दौरान दिए गए हैं।

5.2. The officer will be required to verify the following:

अधिकारी को निम्नलिखित को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है:

5.2.1. Ensure the passport size photograph is the same as submitted during vehicle registration.

सुनिश्चित करें कि पासपोर्ट आकार की प्रति वही है जो वाहन पंजीकरण के दौरान जमा की गई थी।

5.2.2. Ensure the buyer’s signature are the same as submitted during vehicle registration.

सुनिश्चित करें कि खरीदार के हस्ताक्षर वही हैं जो वाहन पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत किए गए हैं।

5.2.3. Ensure the Aadhar number entered by the buyer is the same as the document uploaded.

सुनिश्चित करें कि खरीदार द्वारा दर्ज किया गया आधार नंबर अपलोड किए गए दस्तावेज़ के समान है।

5.2.4. Ensure the bank account details entered by the buyer is the same as the cancelled cheque uploaded.

सुनिश्चित करें कि खरीदार द्वारा दर्ज बैंक खाते का विवरण अपलोड किए गए रद्द चेक के समान है।

5.2.5. Ensure the sales invoice is in accordance with section 4.3 of the guidelines.

सुनिश्चित करें कि बिक्री चालान दिशानिर्देशों की धारा 4.3 के अनुसार है।

5.3. In instances where the purchase subsidy claim is not in accordance with the conditions listed in section 4.1, the officer shall return the claim application to the buyer or dealer with requisite reason(s) for rectification and resubmission.

ऐसे मामलों में जहां खरीद सब्सिडी दावा धारा 4.1 में सूचीबद्ध शर्तों के अनुसार नहीं है, अधिकारी संशोधन और पुन: प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कारणों के साथ खरीदार या डीलर को दावा आवेदन वापस कर देगा।

5.4. The RTO shall verify all claims within 3 days from the date of successful verification by the dealer.

आरटीओ डीलर द्वारा सफल सत्यापन की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी दावों का सत्यापन करेगा।

5.5. Upon successful verification of complete purchase subsidy claim by the officer, the subsidy shall be credited to the vehicle purchaser Aadhar-linked bank account.

अधिकारी द्वारा पूर्ण खरीद सब्सिडी दावे के सफल सत्यापन पर, सब्सिडी वाहन खरीदार के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी।

5.6. The RTO shall have access to all requisite information regarding any purchase subsidy claim and shall provide the buyer with any/all information in case of a query.

आरटीओ के पास किसी भी खरीद सब्सिडी दावे के बारे में सभी अपेक्षित जानकारी तक पहुंच होगी और किसी प्रश्न के मामले में खरीदार को कोई भी / सभी जानकारी प्रदान करेगा।

6. Guidelines for the Banking Partner

बैंकिंग भागीदार के लिए दिशानिर्देश

6.1. Upon successful verification by the RTO, the designated banking partner shall transfer the subsidy to the buyer’s Aadhar-linked bank account within 3 working days.

आरटीओ द्वारा सफल सत्यापन पर, नामित बैंकिंग भागीदार 3 कार्य दिवसों के भीतर खरीदार के आधार से जुड़े बैंक खाते में सब्सिडी स्थानांतरित करेगा।

6.2. The Banking Partner shall maintain all transaction details regarding all purchase subsidy claims digitally for at least three years from the date of successful transfer to the buyer.

बैंकिंग भागीदार खरीदार के सफल हस्तांतरण की तारीख से कम से कम तीन साल के लिए डिजिटल रूप से सभी खरीद सब्सिडी दावों के संबंध के सभी लेनदेन का विवरण बनाए रखेगा।

7. Power to GoUP to Frame Guidelines/Procedure

दिशानिर्देश/प्रक्रिया तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार

7.1. GoUP shall have the powers to depute its representative(s) to visit the premises/office/center/workplace etc. of OEMs/Dealers as well as consumers/individual buyers for the purpose of inspection and verification purposes and may pass such orders or issue directions in relation thereto as it may deem fit.

उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपने प्रतिनिधियों को परिसर/कार्यालय/केंद्र/कार्यस्थल आदि का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त करने के अधिकार होंगे। निरीक्षण और सत्यापन प्रयोजनों के प्रयोजनार्थ ओईएम/डीलरों के साथ-साथ उपभोक्ताओं/व्यक्तिगत खरीदारों की संख्या और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं या उनके संबंध में निर्देश जारी कर सकते हैं जो वह उचित समझे।

8. Resolutions of Disputes

विवादों का समाधान

8.1. Any dispute shall be resolved by mutual discussion and reconciliation. In case of difference of opinion, decision of Commissioner (Transport), GoUP shall be final.

कोई भी विवाद आपसी बातचीत और सुलह से सुलझा लिया जाएगा। मतभेद की स्थिति में आयुक्त (परिवहन), उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय अंतिम होगा।